लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
खण्ड–3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
फोन नम्बर– 0771-2331385, Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

क्रं. / स्था-4/ई/सी.बं.शि/अनु.नियुक्ति / 2020-21/ 284 नवा रायपुर, दिनांक ~~29-05-2021~~ 01/06/2021

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छतीसगढ़

विषयः- अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का पारदर्शितापूर्ण निराकरण हेतु।

संदर्भः- छ.ग.शासन, सा.प्र.वि, मंत्रालय, नवा रायपुर का आदेश क्रं एफ 7-1/2012/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 22-05-2021 ।

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश द्वारा तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण किया गया है । राज्य शासन की मंशानुरूप अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु दिनांक 25-05-21को आयोजित VC में आपको स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन भी दिया जा चुका है । पुनः निर्देशित है किया जाता है कि :-

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी है । अतः ग़ैरज़रूरी मार्गदर्शन हेतु प्रकरण उच्च कार्यालय को न प्रेषित करते हुए, स्वयं अपने स्तर से नियमानुसार अविलंब निर्णय लिया जावे । प्रकरण अत्यंत जटिल होने की स्थिति में संभागीय संयुक्त संचालक के समुचित मागदर्शन में निपटाया जाये ।

1. छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के अनुकंपा नियुक्ति हेतु पुनरीक्षित निर्देश 2013 का पालन सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति आदेश जारी किया जावे।
2. जिले में रिक्त सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी पद सहायक ग्रेड–3 / सहायक शिक्षक के पद पर निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावे । इस हेतु छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 32/2018/20-2/ दिनांक 07-08-2018 का अवलोकन अवश्य कर लिया जावे ।
3. अपने कार्यालय में प्राप्त एवं पंजीकृत आवेदन पत्रों के अनुक्रम में एकजाई सूची बनाकर कार्यालय के सूचना पटल पर अंकित कर दी जावे एवं स्थानीय समाचार पत्र में भी इस सूची को प्रकाशन हेतु जारी किया जावे, ताकि पात्र आवेदकों में भ्रम की स्थिति निर्मित न हो सके।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण में नियमानुसार संवेदनशीलता से विचार करते हुए, अनाधिकृत तौर पर अनावश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज़ों की मांग आवेदक से न की जाये, किन्तु आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज़ों की पूर्ति हेतु आवेदकों को उचित मार्गदर्शन देते हुए उन्हें अधीनस्थ कार्यालयों/संस्था प्रमुखों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जावे।
5. अंतिम रूप से नियुक्त आदेश जारी करने के पूर्व, कार्यालय में प्राप्त लंबित/प्रचलित आवेदन पत्रों के नियमानुसार पारदर्शितापूर्ण परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक परीक्षण समिति गठित की जा सकती है जिसमें 1 वरिष्ठ विकासखंड शिक्षा अधिकारी, 1 वरिष्ठतम प्राचार्य, हा.से. तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षक को शामिल किया जावे ।

6. पदांकन के समय पात्र आवेदकों को उसके निवास स्थान से समीपस्थ शाला/संस्था में रिक्त पद पर पदांकित करने में वरीयता प्रदान करने की पारदर्शितापूर्ण नीति अपनायी जावे, किन्तु शाला/संस्था में अधिकतम समय से रिक्त पदों की पूर्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है । यह भी ध्यान में रखा जावे कि पूर्व में सहायक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु गणना में चिन्हांकित / सुरक्षित रिक्त पदों पर पदांकन न हो ।
7. जो आवेदक अपात्र पाये जायें, उन्हें पूर्णतः स्पष्ट कारण अंकित करते हुए ही सूचित किया जावे ।
8. अंतिम रूप से जारी अनुकंपा नियुक्ति आदेश की प्रति जनसंपर्क विभाग को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि जनहित में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके ।
9. अनुंकपा नियुक्ति में अधिकतम पारदर्शिता का पालन करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों / कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देवें एवं शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।
10. जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की संख्या का आकलन आवश्यकतानुसार विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर लगाकर, आवेदकों की उपस्थिति में प्रकरणों का निपटारा किया जा सकता है ।
11. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अपने अधीनस्थ जिलों के लंबित अनुकंपा प्रकरणों की साप्ताहिक या पाक्षिक मानटरिंग करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जावे एवं मानटरिंग रिपोर्ट नियमित रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को भी निर्धारित प्रपत्र में भेजी जाये ।

जितेन्द्र शुक्ला (IAS)
संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रं. / स्था-4/ई/सी.बं.शि/अनु.नियुक्ति / 2020-21/ 151/285 नवा रायपुर, दिनांक 27-05-2021 01/06/2021

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ सादर !

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़